बिहार विधान परिषद

(200वां बजट सत्र)

Short Notice Questions For Written Answers

03 मार्च, 2022

[**जल संसाधन - वित्त विभाग - श्रम संसाधन - परिवहन - लघु जल संसाधन - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण - वाणिज्य कर - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - योजना एवं विकास - समाज कल्याण गृह**].

Total Short Notice Question- 5

नहर के माध्यम से सिंचाई

*15 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या **जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, जल संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के लगभग 60 प्रतिशत कृषक अपने खेतों की सिंचाई हेतु प्राकृतिक साधनों तथा नदियों, तालाबों अथवा वर्षा के जल पर ही आश्रित रहते हैं जिसकी सुनिश्चितता 'हर खेत में पानी' से करने की योजना बनाई गई है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सिंचाई के प्राकृतिक साधनों में से एक महत्वपूर्ण साधन 'नहर के माध्यम से सिंचाई' की अवधारणा को धरातल पर लाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अनुशासन एवं सुव्यवस्था कबतक

*16 **श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

क्या **वित्त विभाग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि महालेखाकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य सरकार के कई विभाग लगभग 80,000 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं दे रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं देना राशि के गबन एवं दुरुपयोग की तरफ इशारा करता है और वित्तीय कुप्रबंधन का संकेत देता है;

(ग) क्या यह सही है कि सरकार के शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग जैसे कई विभागों ने पिछले कई वर्षों से खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं करा रहे हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी की महालेखाकार की उपरोक्त रिपोर्ट को लेकर उसने कौन-कौन से कदम उठाए हैं जिससे कि वित्तीय मामलों में अनुशासन तथा सुव्यवस्था कायम हो सके और अगर कोई कदम नहीं उठाए हैं तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*17 **मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या **गृह** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत फेनहारा प्रखंड के जमुनिया परशुरामपुर टोला एवं इजोरवाला तथा फेनहारा पश्चिमवारी टोला के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण पशुओं एवं असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है जिसके कारण कठिनाई होती है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त गांवों के कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

यथाशीघ्र मुहैया कबतक

*18 **डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

क्या **वित्त विभाग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मो. बसीउर रहमान, ग्राम- बारादरी, पोस्ट+थाना- बिहारशरीफ, जिला- नालंदा जिनका Application ID - DIBH20211705-9914363 एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार, ग्राम- बढ़ौना, पोस्ट+थाना- चण्डी,जिला- नालंदा जिनका

Application ID - DIBH211705-10332579 है का प्रधानमंत्री सृजन रोजगार योजना ऋण 998000 रुपये, जिला उद्योग नालंदा से चयन कर क्रमशः पंजाब नेशनल बैंक, बिहारशरीफ, जिला- नालंदा एवं पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ौना, चण्डी, जिला- नालंदा को ऋण उपलब्ध कराने हेतु भेजा गया;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त दोनों शाखा प्रबंधकों द्वारा आवेदकों से ऋण देने के पूर्व जमीन का डीड पेपर बंधक के रूप में देने की मांग की गई;

(ग) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री सृजन रोजगार योजना का ऋण देने में डीड पेपर बंधक के रूप में देने का प्रावधान नहीं है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित आवेदकों को प्रधानमंत्री सृजन रोजगार ऋण जो जिला उद्योग नालंदा से चयन कर संबंधित बैंकों को उपलब्ध करायी गयी है उसे आवेदक को यथाशीघ्र मुहैया करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

दण्डात्मक कार्रवाई कबतक

*19 **श्री गुलाम रसूल (विधान सभा):**

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि अरवल जिलान्तर्गत अरवल प्रखंड के मुहल्ला न्यू अरवल (टांड़ी) निवासी विधवा नौशाबा बेगम, पति स्व. शमीम अहमद को दिसम्बर 2010 से 2021 तक लक्ष्मीबाई सामाजिक पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा था;

(ख) क्या यह सही है कि कम्प्यूटर ऑपरेटर/कर्मचारी के मनमानीपूर्ण रवैया एवं नाजायज पैसे नहीं दिए जाने के कारण विधवा नौशाबा बेगम के साथ ही अन्य पेंशन योजना के लाभार्थियों का नाम भी ऑनलाइन करने में जानबूझकर इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में कर दिया गया जिसके कारण पेंशन विगत कई महीनों से नहीं मिल पा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नौशाबा बेगम का नाम इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के स्थान पर पूर्व से चली आ रही लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में करते हुए पेंशन का भुगतान करने के साथ ही योजना का नाम बदल कर आम-अवाम को जानबूझकर परेशान करने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर/कर्मचारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?